

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग  
द्वारा भरे जाने के लिये)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा  
के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और  
निर्दिष्ट सिफारिशें।

ccf, २०१२२९५२

..... की संस्तुति  
के आधार पर रचीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती हैं।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन  
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की  
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

*[Signature]*

Anupam Gupta  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow

हस्ताक्षर

दिनांक— १५/८/२३

नाम—

स्थान— .....

सरकारी मोहर

*प्रभागीय वनाधिकारी  
कुशीनगर*